कक्षा 11 राजनीति विज्ञान

विधायिका

परिचय–

सरकार के तीन अंगों में विधायिका का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जन – प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यद्यपि विधायिका में कानूनों का निर्माण होता है परन्तु संसद वाद–विवाद का खुला मंच है । अपनी संरचनातमक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है।

द्विसदनात्मक व्यवस्था–

भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है।भारत की ससद के दो सदन हैं इसलिए इसे द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं।

1– राज्य सभा

2– लोक सभा

भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जिन्हें विधानसभा कहते हैं। जबकि 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। वहाँ पर उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। इन राज्यों में उत्तरप्रदेश ,बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश हैं।

भारत की ही तरह जर्मनी में भी केन्द्रीय विधायिका के दो सदन हैं। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग (फैडरल एसेंबली) और बुंदेसरैट (फेडरल कौंसिल) कहते हैं।

राज्य सभा–

भारत की संसद के उच्च सदन राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व माना गया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है।

भारत की तरह ही अमेरिका में भी दो सदन है उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। जिसके सदस्यों को प्रत्येक राज्य से एक समान संख्या में चुना जाता है।परन्तु भारत में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटों की व्यवस्था की गई है।

राज्य सभा एक स्थाई सदन है जिसके सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है।

राज्य सभा में राष्टपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये ऐसे गणमान्य लोग होते हैं जिन्होंने साहित्य ,विज्ञान ,कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो।

लोक सभा–

भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें पूरे देश को समान जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्रों में बॉटा गया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है। सन 2026 तक इनकी कुल सदस्य संख्या 552 हो सकती है। यदि एंग्लो –इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो राष्टपति लोकसभा में भी इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है

लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्टपति के द्वारा उसे भंग किया जा सकता है।

संसद के कार्य–

1– विधि निर्माण करना

2–कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना

3–वित्तीय कार्य

4–विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करना

5–बहस का मंच

6– संवैधानिक कार्य

7–निर्वाचन संबंधी कार्य

8– न्यायिक कार्य

विधि निर्माण की प्रक्रिया

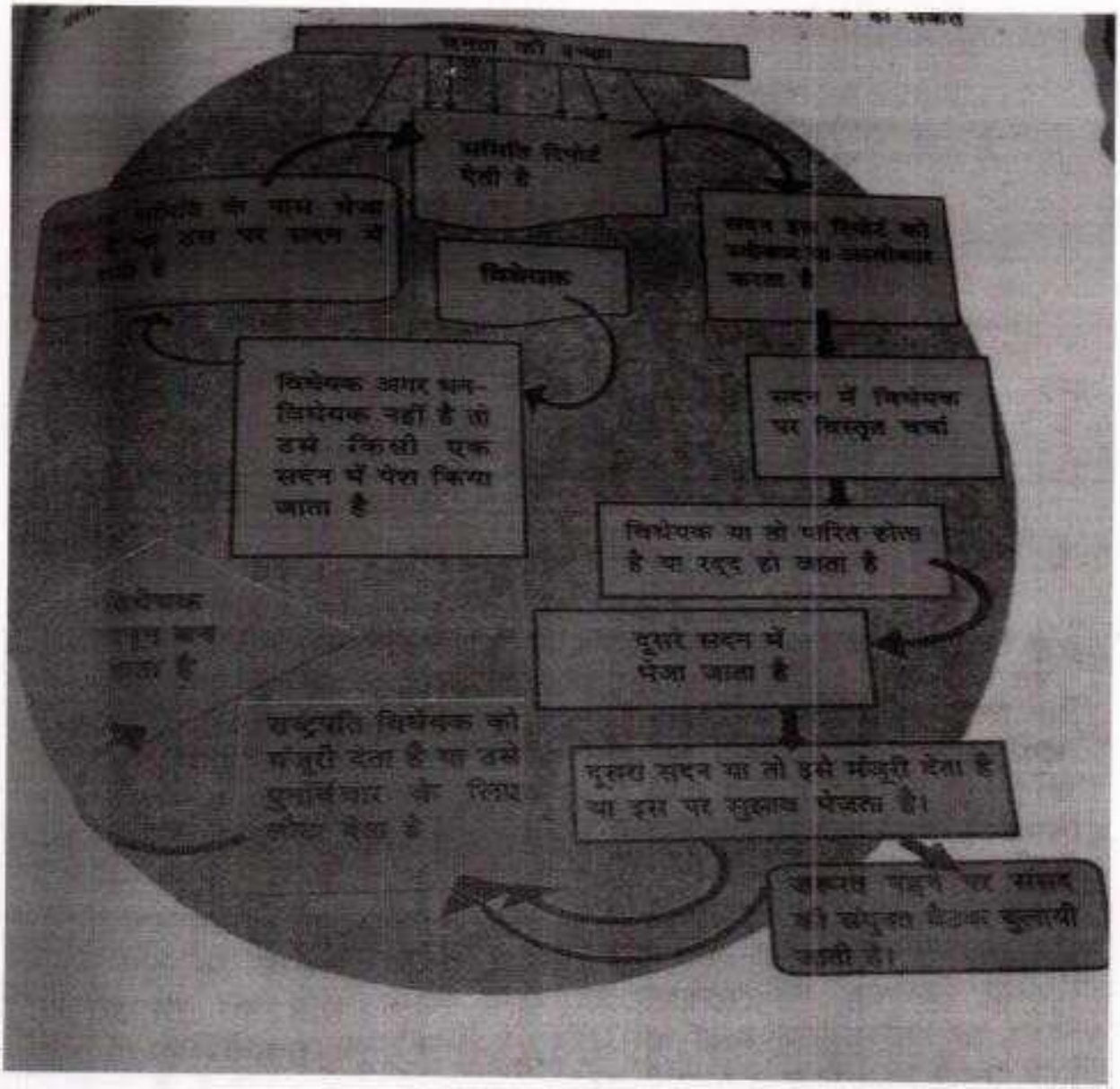

विधेयको के प्रकार–

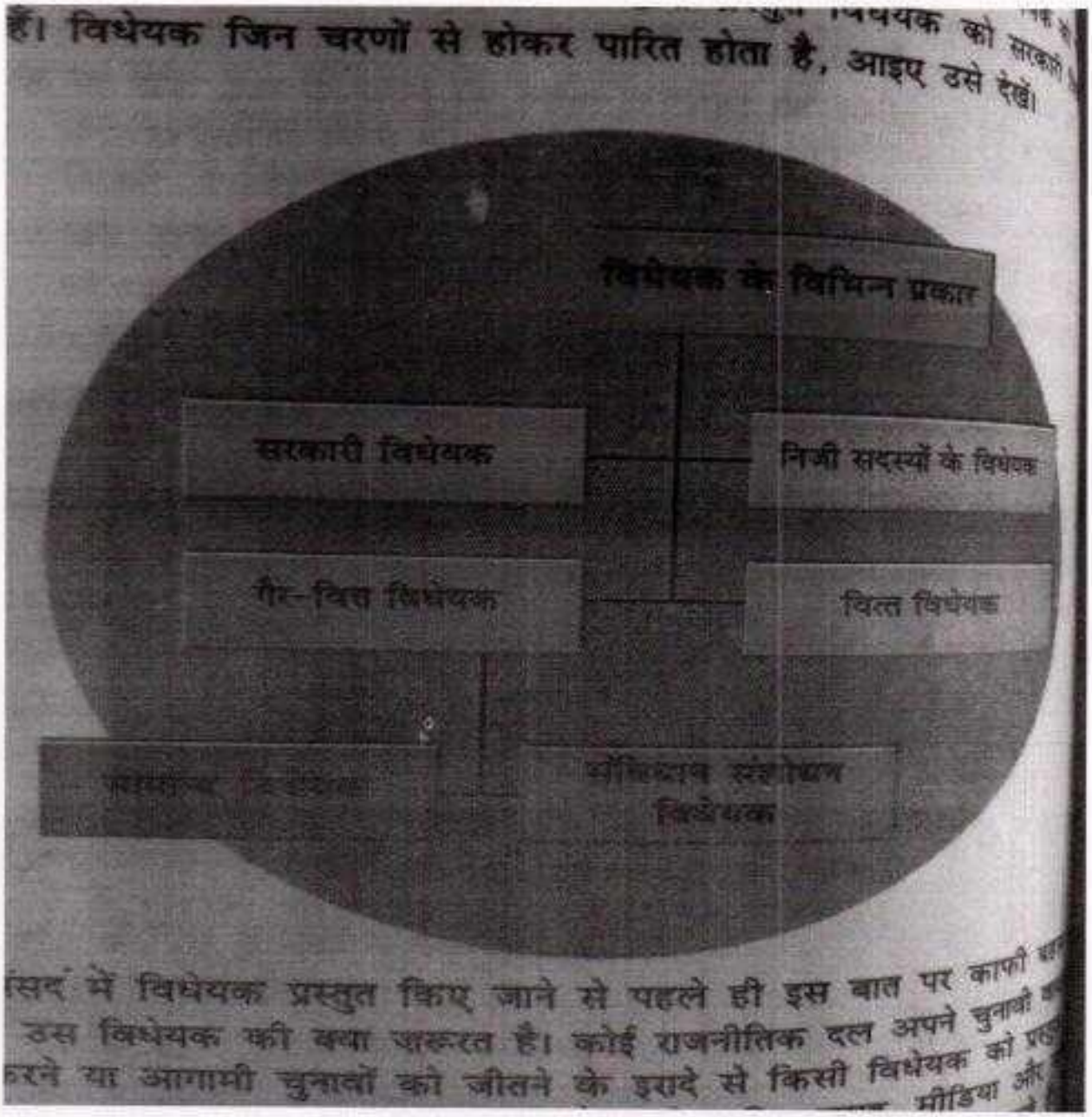

हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसे देखें।

सदं में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी
उस विधेयक की क्या जरूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी
करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को
मीडिया और

संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण–

1– प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर

2–मन्त्रिपरिषद की नीति की आलोचना व उसकी स्वीकृति के द्वारा

3–कटौती प्रस्ताव द्वारा

4–काग्र स्थगन प्रस्ताव द्वारा

5–निन्दा प्रस्ताव द्वारा

6–अविश्वास प्रस्ताव द्वारा

7–राष्टपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा

संसद की समितियां–

1– प्राक्कलन समिति

2–लोक लेखा समिति

3– प्रवर समिति

किशोर चन्द्र पाटनी

प्रवक्ता राजनीति विज्ञान

रा0 इ0 का0 गोरंगचौड़